मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक 352/401/10/3/85 भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 1985

प्रति,

समस्त वन संरक्षक, क्षेत्रीय म0प्र0

समस्त वन मंडलाधिकारी क्षेत्रीय मध्यप्रदेश

समस्त वन मंडलाधिकारी उत्पादन मध्यप्रदेश

विषय :– आदिवासियों के माध्यम से वनोपज का बैलगाड़ी द्वारा परिवहन करने बाबत्।

––0––

पूर्व में भी विशेष रूप से यह निर्देशित किया गया था कि जहॉं कहीं भी आदिवासियों के पास बैलगाड़ी उपलब्ध हो, उन्हें वनोपज में परिवहन हेतु सम्पूर्ण रूप से योगदान दिया जाये, जिससे कि उनके वित्तीय स्थिति में सुधार को समुचित जोड़कर विशेषकर आदिवासी हितग्राहियों को जहॉं–कहीं भी बैलगाड़ी का प्रदाय किया है, उन्हें वनोपज परिवहन कार्य से जोड़ना भी आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विषय के संबंध में समस्त संबंधित वन मंडलाधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिये जाते हैं कि वे अधिक से अधिक मात्रा में आदिवासियों को बैलगाड़ी के माध्यम से वनोपज परिवहन का कार्य दें। इसमें कोई भी असावधानी दर्शाई गई तो संबंधित वन मंडलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

इस संबंध में की गई कार्यवाही से समय समय पर मुख्य वन संरक्षक उत्पादन को सूचित करते रहें।

सही/–व्ही.जी.निगम
सचिव
मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग

कार्यालय वन महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/निस्तार/123/1609 भोपाल, दिनांक 16–1–86

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक

समस्त वन संरक्षक,

समस्त वन मंडलाधिकारी मध्यप्रदेश

विषयः– प्रोजेक्ट बैलगाड़ी का क्रियान्वयन.

संदर्भः– म.प्र.शासन वन विभाग का ज्ञाप क्र. 30/51/79/10/3 दिनांक 22–10–85.

––0––

बैलगाड़ी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासन वन विभाग के पत्र क्र. 30/51/79/10/3 दिनांक 22–10–85 की प्रतिलिपि तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

वन विभाग के समस्त वार्षिकि कूपों से जहॉं से जलाऊ का निर्वतन किया जाता है , शासन निर्देशानुसार वहीं पर परिवहन बैलागड़ी द्वारा ही करवाया जाये।

संलग्न–एक **सही– वन महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल**